सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

26 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 31 राँची, बुधवार, 16 जनवरी, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-07/2018-188/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को अनुमति दे चूँकि है, इसके द्‌वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2018

(झारखंड अधिनियम, 23, 2018)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

   (1) यह अधिनियम झारखण्ड जल, गैस, ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी,

(ख) ''निगम'' से अभिप्रेत है, राज्य अधिनियम के तहत निगमित निकाय एवं इसमें समाहित हैः-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी,

(ii) भारत के किसी खंड में पूर्व में प्रचलित कंपनी से संबंधित किसी विधि के तहत स्थापित एवं पंजीकृत कंपनी,

(ग) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है, जिले का उपायुक्त या कोई डिपुटी कलेक्टर, जिसे इस विधेयक के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त है,

(घ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

3. (1) राज्य सरकार को, जब कभी यह प्रतीत हो कि जल, गैस, ड्रेनेज का वहन का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पारेषण करने तथा उससे संबंधित संकर्मो के लिए, जनहित में यह आवश्यक है तो राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाय और यह कि पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी भूमि में, जिसमें कि ऐसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती हों, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण होगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना के सारांश को उस स्थान पर एवं उस रीति से प्रकाशित करवाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

4. (1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, बिछाए जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

(2) प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आपत्ति को या तो मंजूर कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

5. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जाती है या जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों को नामंजूर कर दिया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में, सभी विल्लंगमों से रहित उपयोग के अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाऐंगे।

(3) जहां कि किसी भी भूमि के संबंध में धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, परन्तु इस धारा के अधीन कोई उद्घोषणा अधिूसचना के एक वर्ष के भीतर नहीं प्रकाशित हुई है, तब वह अधिसूचना इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् अप्रभावी मानी जायेगी।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे नियमों तथा शर्त्तों पर, जैसे कि वह उचित समझें, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए समस्त विल्लंगमों से रहित भूमि में उपयोग के अधिकार, घोषणा के प्रकाशन की अवधि अथवा आदेश में अंतर्विष्ट अन्य अवधि से राज्य सरकार में निहित होने के बजाय, इस प्रकार अधिरोपित नियमों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाले, सभी ऋणभार से मुक्त होकर निगम में निहित हो जाएंगे।

6. (i) जहां कि धारा 5 के अधीन किसी भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम में निहित हो गया हो तो राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इसके सेवकों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह -

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर प्रवेश करे तथा सर्वेक्षण करे और उसका तल-मापन करें

(ख) अवमृदा में खुदाई या बोर करें

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करें

(घ) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को चिन्ह् लगाकर एवम् खाईयां काटकर चिन्हांकित करे

(ड.) जहां कि किसी अन्य प्रकार से सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता हो तथा तल-मापन किया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं चिन्हित की जा चुकी हों, खड़ी फसल के किसी भाग को या किसी अन्य फसल को या बाड़ को काटे और रास्ता तैयार करें, और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कृत्य करे कि क्या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाई जा सकती है:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोईसेवक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो कम से कम नुकसान या क्षति पहुंचाएगा।

परन्तु यह और कि कोई पाईप लाइन, नहीं बिछाई जायेगी यदि

(क) ऐसी कोई भूमि जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवहृत होती हो, या

(ख) ऐसी भूमि जिसपर कोई स्थायी संरचना अधिसूचना की तारीख से पहले से हो,

(ग) कोई भूमि जो आवासीय भवन से संबद्ध हो, या

(घ) कोई भूमि जहाँ सतह से एक मीटर से कम की गहराई हो एवम्

(ii) ऐसी भूमि का उपयोग केवल भूमिगत पाईप लाईन बिछाने तथा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या उन्हें हटाने के लिए या किसी अन्य कृत्य के साथ-साथ उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए या ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के लिए किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (i)के द्वितीय परन्तुक के उपखंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

7. किसी भूमिगत पाइप लाइने बिछाने, उनका संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के लिए अथवा उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए माप करने या कोई निरीक्षण करने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि के अधिभोगी का युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, उतने कामगारों और सहयोगियों के साथ जितने कि आवश्यक हों, उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

परन्तु जहां वह व्यक्ति संतुष्ट है कि कोई आपात स्थिति विद्यमान है, वहां ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी।

पंरतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कामगार या सहायक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो अल्प नुकसान या क्षति पहुँचायेगा।

8. (1) किसी ऐसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, भूमि का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा जिनके कि लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसचूना की तारीख के ठीक पूर्व उसका उपयोग किया जाता था:

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर, -

(i) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा

(ii) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन नहीं करेगा या

(iii) किसी वृक्ष का रोपण नहीं करेगा।

(2) भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने की अनुमति देगा जो भूमिगत पाईप लाईन को किसी भी रीति में कोई नुकसान कारित करता हो या कारित कर सकता हो।

(3) जहाँ की भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके संदर्भ में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, उस भूमि पर -

(क) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण करता है, या

(ख) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन करता है, या

(ग) किसी वृक्ष का रोपण करता है,

कलेक्टर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आवेदित किए जाने पर एवं इसकी जाँच कराए जाने पर यदि ठीक समझता हो तो ऐसे भवनों, संरचनाओं, जलाशयों, बाँधों अथवा पेड़ो को हटा सकेगा या तालाबो को भर सकेगा तथा हटाये जाने अथवा भरे जाने की लागत राशि स्वामी या अधिभोगी से वसूल कर सकेगा।

9. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 की शक्तियों का प्रयोग करने में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति हुई है, वहां राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायी होंगे जिसकी रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार दर के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(2) यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी पार्टी को मान्य नहीं हो तो वे भूमि या उसके अंश से संबंधित कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का विनिश्चय कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे प्रतिकर का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अवधारण करते समय सक्षम पदाधिकारी या कलेक्टर निम्नलिखित कारणों से होने वाले नुकसान या हानि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा-

(i) धारा 6 या जैसा कि मामला हो धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाना, यदि कोई हों;

(i) उस भूमि का, जिसके नीचे भूमिगत पाइप लाइन बिछाई गई है, ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से अस्थाई पृथक्करण; या

(i) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य सम्पत्ति को चाहे वह चल हो या अचल या उपार्जन को किसी अन्य रीति में कारित कोई क्षति.

परन्तु कि धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना की तिथि के पश्चात् उक्त भूमि पर निर्मित कोई संरचना या विकासन को क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(4) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई है, भूस्वामी का किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हुई है, को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर देने के दायी होंगे।

(5) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर, उस भूमि का बाजार दर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आकलित होगा एवं उस प्राधिकार द्वारा निर्धारित यह दर यदि किसी को मान्य नहीं हो तो वे उपधारा (2) के संदर्भ में कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं यह दर कलेक्टर द्वारा विनिश्चय कर दिया जाएगा।

(6) उपधारा (2) या (5) के अधीन कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

10. (1) धारा 9 के अधीन अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में निर्धारित तिथि के भीतर और ऐसी रीति में जमा की जाएगी जैसी कि विहित की जाए।

(2) यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के निर्धारित तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम उस पर उस तारीख से जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा कराए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 9 प्रतिशत की दर से तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर देगा।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन जमा किए गए प्रतिकर में कई व्यक्तियों की दावेदारी होती हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों का निर्धारण किया जायेगा जो उसकी नजर में प्रतिकर पाने के हकदार होंगे।

(5) यदि प्रतिकर के प्रभाजन या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम पदाधिकारी विवाद को उसकी अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा और उस पर कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर होने को विवश करना ताकि शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ड.) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

12. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयिक के लिए किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी क्षति, हानि या नुकसान के लिए राज्य सरकार, निगम या सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी।

13. इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कलेक्टर अथवा सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध मामला में किसी भी व्यवहार न्यायलय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा तथा किसी न्यायालय अथवा कोई प्राधिकार इस अधिनियम के आधार पर कृत कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई में कोई निषेधाज्ञा न कर सकेगा।

14. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्राधिकृत किन्हीं कार्यों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छापूर्वक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा 6 के अधीन निर्मित किसी खाई या चिन्ह को स्वेच्छापूर्वक भरता है, नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या स्थान से हटाता है या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निषिद्ध प्रावधानों के विरूद्ध कोई कार्य करता है, वह साधारण कारावास जो छह महीने की अवधि तक हो सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा।

(2) जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक धारा 6 के अधीन बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन को हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, वह कम से कम एक वर्ष के कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है एवं जुर्माना दोनों से दंडित होगा।

15. दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 14 की उपधारा (2) के तहत आने वाले अपराध उस संहिता के अर्थों के अधीन संज्ञेय माने जायेंगे।

16. (1) राज्य सरकार, द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना नियम लागू रहेगा।

(2) विशेष रूप से एवं बिना किसी भेद-भाव के ये नियम निम्नवत् सभी मामलों अथवा किसी भी मामले में व्यवस्था देंगे -

(क) धारा-3 की उपधारा (3) के तहत् अधिसूचना का सारांश, प्रकाशित किये जाने का स्थान एवं रीति।

(ख) धारा-10 की उपधारा (1) के अधीन जमा क्षतिपूरक राशि की समयावधि,

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम कम से कम एक माह की अवधि के लिए विधान सभा के पटल पर रखे जाऐंगे एवं ऐसे उपांतरणों या संशोधनों के अध्यधीन होंगे जो विधान सभा द्वारा चालू सत्र में किए जाएं या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किऐ जाऐं,

(4) विधान सभा द्वारा किए गए ऐसे उपांतरण अथवा संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होंगे, तत्पश्चात् वे प्रभावी होंगे।

17. इस अधिनियम के प्रावधान भूमि अर्जन के मामले में, प्रवृत अन्य कानूनों के अनुवृद्धि में होंगे, अल्पीकरण में नहीं।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2018

संख्या- एल॰जी॰-07/2018-189/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को अनुमत झारखण्ड जल, गैस, ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND WATER, GAS AND DRAINAGE PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2018

(JHARKHAND ACT, 23, 2018)

1. Short title, extent and commencement.

   (1) This Act may be called the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2018.

   (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

   (3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

   (a) "Competent authority" means any person or authority authorized by the State Government by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Act;

   (b) "Corporation" means any body corporate established under any Jharkhand Act and includes –

   (i) A company formed and registered under the Companies Act, 2013; and

   (ii) A company formed and registered under any law relating to companies formerly in force in any part of India;

   (c) "Collector" means the Deputy Commissioner or any Deputy Collector of the district especially empowered by the State Government to perform all or any function of Collector under this Act.

   (d) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

3. (1) Whenever it appears to State Government that it is necessary in the public interest that for the transport of water, gas or drainage from one place to another place, pipelines may be laid by the State Government, or, the corporation and that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user (ROU) in any land under which such pipelines may be laid, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire the right of user there in.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published at such places and in such manner as may be prescribed.

4. (1) Any person interested in the land may, within thirty days from the date of the publication of notification under sub-section (1) of section 3, object to the laying of the pipelines under the land.

(2) Every objection shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in persons or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as that authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

(3) Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final.

5. (1) Where no objection under sub-section (1) of section 4 has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objections under sub-section (2) of that section, that authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the State Government and upon receipt of such report, the State Government shall declare, by notification in the Official Gazette, that the right of user in the land for laying the pipelines shall be acquired.

(2) On the publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in the land shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances.

(3) Where in respect of any land, a notification has been issued under sub-section (1) of section 3, but no declaration under this section has been published within a period of one year from the date of that notification, that notification shall cease to have effect on the expiration of the said period.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, on such terms and conditions as it may think fit, to impose, direct by order in writing that the right of user in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the State Government, vest either on the date of publication of the declaration or, on such other date as may be specified in the order, in the Corporation, proposing to lay the pipelines and thereupon the right of such user in the land shall, subject to the terms and conditions so imposed, vest in that Corporation free from all encumbrances.

6. (1) (i) Where the right of user in any land has vested in the State Government or, as the case may be, the Corporation under section 5, it shall be lawful for any person authorized by the State Government or, as the case may be, the Corporation and its servants and workmen –

(a) to enter upon, survey and take levels of any land specified in the notification.

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to set out the intended line of work;

(d) to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;

(e) where otherwise survey cannot be completed and levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crops, fence or jungle; and

(f) to do all other acts necessary to ascertain whether pipelines can be laid under the land;

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant or workman of such person shall cause minimum damage or injury as possible to such land.

Provided further that no pipelines shall be laid under -

(a) any land which, immediately before the date of the publication of notification under sub-section (1) of section 3, was used for residence purposes; or

(b) any land on which there stands any permanent structure which was in existence immediately before the said date, or

(c) any land which is appurtenant to a dwelling house; or

(d) any land at a depth which is less than one metre from the surface; and

(ii) Such land shall be used only for laying the pipelines and for maintaining examining, repairing, altering or removing any such pipelines or for doing any other thing necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of such pipelines.

(2) If any dispute arises with regard to any matter referred to in sub-clause (b) or (c) of the second proviso to clause (i) of sub-section (1), the dispute shall be referred to the competent authority whose decision thereon shall be final.

7. For maintaining, examining, repairing, altering or removing any pipeline, or for doing any other thing necessary for the utilization of the pipelines or for the making of any inspection or measurement for any of the aforesaid purposes, any person authorized in this behalf by the State-Government or, as the case may be, the Corporation may, after giving reasonable notice to the occupier of the land under which the pipelines has been laid, enter therein with such workmen and assistants as may be necessary.

Provided that, where such person in satisfied that an emergency exists, no such notice shall be necessary.

Provided further that, while exercising any powers under this section, such person or any workmen or assistants of such person, shall cause as little damage or injury as possible to such land.

8. (1) The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 5, shall be entitled to use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub section (1) of section 3.

Provided that such owner or occupier shall not after the declaration under sub section (1) of section 5 –

(i) construct any building or any other structure;

(ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or

(iii) Plant any tree, on that land.

(2) The owner or occupier of the land under which any pipeline has been laid shall not do any thing or permit any thing to be done which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever, to the pipeline.

(3) Where the owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 5-

(a) constructs any building or any other structure, or

(b) constructs or excavates any well, tank, reservoir or dam, or

(c) Plants any tree,

on that land, the Collector within the local limits of whose jurisdiction such land is situated may, on an application made to it by the competent authority and after holding such inquiry, as it may deem fit, cause the building, structure, reservoir, dam or tree to be removed or the well or tank to be filled up, and the costs of such removal or filling up shall be recoverable from such owner or occupier.

9. (1) Where in the exercise of the power conferred by section 6 or 7 by any person, any damage, loss or injury is sustained by any person interested in theland under which the pipeline is proposed to be, or is being, or has been laid, the State Government or, as the case may be, the Corporation shall be liable to pay compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which shall be determined by the competent authority based on market value of the land.

(2) If the amount of compensation, determined by the competent authority under sub-section (1) is not acceptable to either of the parties, the amount of compensation shall, on application by either of the parties to the Collector within the limits of whose jurisdiction the land or any part thereof is situated, be determined by that Collector.

(3) The competent authority or, as the case may be the Collector while determining the compensation under sub-section (1) or, as the case may be sub-section (2) shall, have due regard to the damage or loss sustained by any person interested in the land by reason of –

(i) the removal of trees or standing crops, if any, on the land while exercising the powers under section 6 or as the case may be section 8;

(ii) the temporary severances of the land under which the pipeline has been laid from other lands belonging to or, in the occupation of such person, or

(iii) Any injury to any other property whether movable or immovable, or the earnings of such persons caused in any other manner.

Provided that in determining the compensation no account shall be taken of any structure or other improvement made in the land after the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 3.

(4) Where the right of user of any land has vested in the State Government or, as the case may be, the Corporation it shall, in addition to the compensation, if any, payable under sub-section (1), be liable to pay to the owner and to any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such vesting, compensation calculated at ten percent, of the market value of that land on the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 3.

(5) The market value of the land on the said date shall be taken as in sub-section (1) of section 3 by the competent authority and if the value so determined by that authority is

not acceptable either of the parties, it shall on application by either of the parties to the Collector, referred to sub-section (2) be determined by the Collector.

(6) The decision of the Collector under sub-section (2) or (5) shall be final.

10. (1) The amount of compensation determined under Section 9 shall be deposited by the State Government or, as the case may be the Corporation, with the competent authority within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) If the amount of compensation is not deposited within the time prescribed under sub-section (1), the State Government or, as the case may be, the Corporation, shall be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent, if the amount of compensation is deposited within one year after the period prescribed under sub-section (1) and at the rate of fifteen percent, if the amount of compensation is deposited after the expiry of the said one year.

(3) As soon as may be after the compensation has been deposited under sub section (1), the competent authority shall, on behalf of the State Government or, as the case may be, the Corporation pay the compensation to the persons entitled thereof.

(4) Where several persons claim to be interested in the amount of compensation deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the persons who in its opinion are entitled to receive the compensation and the amount payable to each of them.

(5) If any dispute arises as the apportionment of the compensation or any part thereof or as to the persons to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the Collector within the limits of whose jurisdiction the land or any part thereof is situated and the decision of the Collector thereon shall be final.

11. The Collector and the competent authority shall have, for the purposes of this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document,

(c) reception of evidence on affidavits.

(d) requisitioning any public record from any court or office;

(e) issuing commission for examination of witness.

12. (1) No suit, prosecutions or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules or notification made or issued there under.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, Corporation or, as the case may be, the competent authority for any damage, loss or injury caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done pursuance of this Act or any rules or notification made or issued there under.

13. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Collector or, as the case may be the competent authority is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect

of any action taken or proposed to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

14. (1) Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorized under section 6 or as the case may be, section 7 or willfully fills up destroys, damages or displaces any trehch or mark made under section 6 or willfully does anything prohibited under the provision to sub-section (1) of section 8, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or fine or both.

(2) Whoever willfully removes, displaces, damages or destroys any pipeline laid under section 6, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine.

15. Not withstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 an offence falling under sub-section (2) of section 14 shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code,

16. (1) The State Government, by notification in the Official Gazette, will continue the framed rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such framed rules will provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the places at which and the manner in which the substance of the notification may be published under sub-section (3) of section 3;

(b) the time within which and the manner in which the amount of compensation shall be deposited under sub-section (1) of section 10,

(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to rescission by the State Legislature or to such modifications as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

17. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force relating to the acquisition of land.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 31 -- 50